

कार्यालय जिला न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल
वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु कैन्टीन की नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय नई टिहरी में स्थित कोर्ट कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2026-2027 (दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक) की अवधि के लिए संचालन पर दिये जाने हेतु दिनांक 17.03.2026 को अपराह्न 1.30 बजे न्यायालय प्रांगण नई टिहरी में नीलामी/बोली की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

अतः इच्छुक बोलीदाता उक्त तिथि एवं समय न्यायालय प्रांगण में उपस्थित होकर कैन्टीन की नीलामी/बोली की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कैन्टीन की बोली हेतु न्यूनतम धनराशि मु0 81,400/- निर्धारित की गयी है, कैन्टीन की बोली हेतु उपस्थित बोलीदाता को न्यूनतम धनराशि से ऊपर की धनराशि से बोली प्रारम्भ करनी होगी। कैन्टीन को संचालन पर दिये जाने हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें जिला जजी टिहरी गढ़वाल की वेब साईट <https://districts.ecourts.gov.in/tehrigarhwal> से प्राप्त किया जा सकता है।

उक्त सूचना को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किये जाने के साथ ही न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड किया जाय।


(अंजली भारती)
सदस्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी
टिहरी गढ़वाल


(मोहम्मद याकूब)
सदस्य/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टिहरी गढ़वाल


(नसीम अहमद)
अध्यक्ष/अपर जिला न्यायाधीश
टिहरी गढ़वाल

09/03/2026

जिला जजशिप टिहरी गढ़वाल में न्यायालय परिसर स्थित कोर्ट कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु बोली/नीलामी के माध्यम से संचालन पर दिये जाने हेतु निर्धारित शर्तें

जिला जजशिप टिहरी गढ़वाल के नई टिहरी मुख्यालय स्थित कोर्ट कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा संचालन पर दिया जाना है। अतः इच्छुक व्यक्ति दिनांक 17.03.2026 दिन मंगलवार समय 01:30 पी0एम0 बजे न्यायालय प्रांगण में उपस्थित होकर कैन्टीन की नीलामी/बोली में प्रतिभाग कर सकता है। कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए संचालन पर दिये जाने हेतु शर्तें निम्न प्रकार हैं।

(1) कैन्टीन की बोली हेतु न्यूनतम बोली का निर्धारण विगत वर्ष बोली गयी अधिकतम बोली मु0 74,000/- में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए रु0 81,400/- निर्धारित की गयी है। कैन्टीन की बोली में उपस्थित बोलीदाताओं को निर्धारित न्यूनतम धनराशि से उपर की धनराशि से बोली प्रारम्भ करनी होगी।

(2)-उच्चतम बोलीदाता को बोली की एक चौथाई धनराशि उसी दिन बतौर जमानत नजारात अनुभाग में जमा कराना होगा।

(3)-समिति द्वारा स्वीकार किया गया है अधिकतम बोली मूल्य तभी अन्तिम माना जायेगा जब जिला न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल द्वारा अनुमोदित कर लिया जायेगा।

(4)-नीलामी स्वीकृत होने पर ठेके की धनराशि 4 किशतों में जमा करनी होगी। जमानत की धनराशि बोली बोलने वाले दिन ही जमा करनी होगी, तथा प्रथम किस्त बोली के दिनांक से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी, दूसरी किस्त दिनांक 01.07.2026, तीसरी किस्त दिनांक 01.10.2026 तथा चौथी किस्त दिनांक 01.01.2027 तक जमा करनी होगी। नियत तिथि तक किस्त जमा न होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती है। ठेके की अवधि समाप्त होने पर जमानत की धनराशि वापस अथवा दिनांक 01.01.2027 को देय अन्तिम किस्त में परिवर्तित की जा सकती है।

(5)- जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह नीलामी की शर्तों के अनुरूप एक बन्धनामा श्रीमान् जिला न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल के पक्ष में जमा करेगा, ऐसा न करने पर ठेका निरस्त किया जायेगा और दोबारा नीलामी की जायेगी तथा जमानत की धनराशि जब्त की जायेगी।

(6)-प्रश्नगत कैन्टीन में किसी भी दशा में कोई भी नशीली वस्तु अथवा सडा गला खाद्य एवं पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जायेगी। खाने पीने की वस्तुओं को स्वच्छता के साथ विक्रय किया जायेगा तथा दुकान में किसी भी प्रकार से पालिथीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही करते हुए जमानत राशि जब्त की जायेगी व शेष धनराशि यदि कोई हो, की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।







(7)–जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह बोली स्वीकृत होने के पश्चात् बन्धनामा भरने, जमानत देने एवं पहली किश्त अदा करने के बाद आदेश मिलने पर दुकान का काम शुरू करेगा।

(8)– दुकान में कार्य शुरू करने पर उसे अलग से सफाई एवं कूड़ादान की व्यवस्था करनी होगी।

(9) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति पर यदि कोई अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में लम्बित हो तो बोली नहीं बोल सकता है। इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष जमानत देते समय प्रस्तुत करना होगा। जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह स्वयं तथा उसके परिवार का कोई भी सदस्य अथवा नौकर, जिसका कोई आपराधिक इतिहास न हो, दुकान/रेस्टोरेंट पर बैठ सकता है।

(10)– जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा, भोजन बनाने वाली जगह एवं भोजन पकाने वाली जगह साफ सुथरी एवं कीचड़ रहित, रखेगा एवं भोजन सामग्री पर किसी प्रकार के मक्खी, मच्छर, कीड़े-मकोड़े नहीं बैठे इस हेतु स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा।

(11)– श्रीमान् जिला न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल को बिना कारण बताये सबसे बोली बोलने वाले की बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(अंजली भारती)

सदस्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

(मोहम्मद याकूब)

सदस्य/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टिहरी गढ़वाल

(नसीम अहमद)

अध्यक्ष/अपर जिला न्यायाधीश
टिहरी गढ़वाल